सरकार ने जारी की पहली आतंकवाद रोधी नीति

दहशतगर्दी के खिलाफ समग्र 'प्रहार' की तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 फरवरी।

सरकार ने सोमवार को देश की पहली आतंकवाद-रोधी नीति 'प्रहार' को जारी किया। इसमें कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर आधारित एक बहुस्तरीय रणनीति तय की गई है, जो खुफिया जानकारी के आधार पर चरमपंथी हिंसा की रोकथाम और उसे निष्क्रिय करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आतंकवादियों, उनके वित्तपोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित करना है। इसमें आतंकवाद के नए स्वरूपों-साइबर हमले, डार्क वेब और ड्रोन हमले की चुनौतियों को लेकर खास रणनीति पर जोर दिया गया है।

इस दस्तावेज में संचार, भर्ती, जेहाद के महिमामंडन और अन्य आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए इंटरनेट के दुरुपयोग को रेखांकित किया गया है, जिनका मुकाबला खुफिया और आतंकवाद विरोधी एजंसियों द्वारा ऐसी साइबर गतिविधियों, आतंकवादी समूहों के आनलाइन नेटवर्क और उनके प्रचार और भर्ती को सक्रिय रूप से बाधित करके किया जाता है।

> *नीति* का उद्देश्य आतंकियों, उनके वित्तपोषकों और समर्थकों को धन, हथियार और सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच से वंचित करना है। इसमें आतंकवाद के नए स्वरूपों-साइबर हमले, डार्क वेब और ड्रोन हमले की चुनौतियों को लेकर खास रणनीति पर जोर दिया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई नीति भारत या विदेश से उत्पन्न होने वाले आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए सात प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। ये सात स्तंभ हैं रोकथाम, प्रतिक्रिया, आंतरिक क्षमताओं का एकीकृत करना , मानवाधिकार और 'कानून के शासन' पर आधारित प्रक्रियाएं, कट्टरता सहित आतंकवाद में सहायता करने वाली परिस्थितियों को दूर करना, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को संरेखित व आकार देना और समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाना। नीति दस्तावेज में पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा गया, 'भारत के निकटवर्ती इलाकों में अस्थिरता का इतिहास रहा है, जिसके कारण अक्सर अराजक क्षेत्र उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा, इस क्षेत्र के कुछ देशों ने कभी-कभी आतंकवाद को राज्य नीति के एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया है।' इसमें कहा गया, 'इसके बावजूद, भारत आतंकवाद को किसी विशिष्ट धर्म, जातीयता, राष्ट्रीयता या सभ्यता से नहीं जोड़ता है। भारत ने हमेशा आतंकवाद और किसी भी तत्व द्वारा किसी भी घोषित या अघोषित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसके उपयोग की स्पष्ट और निर्विवाद रूप से निंदा की है।' नीति दस्तावेज में कहा गया है कि भारत आतंकवाद के पीड़ितों के साथ लगातार खड़ा रहा है और इस पर अडिग है कि दुनिया में हिंसा का कोई औचित्य नहीं हो सकता। यही सैद्धांतिक दृष्टिकोण आतंकवाद के खिलाफ नई दिल्ली की 'कतई बर्दाश्त नहीं' नीति का आधार है। दस्तावेज में कहा गया, 'भारत लंबे समय से सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित रहा है, जिसमें जेहादी आतंकवादी संगठन और उनके सहयोगी संगठन भारत में आतंकी हमलों की योजना बनाने, समन्वय करने, सुविधा प्रदान करने और उन्हें अंजाम देने में संलिप्त हैं।

एआइ सम्मेलन में प्रदर्शन

युवा कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को ग्वालियर से किया गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 फरवरी।

दिल्ली पुलिस ने पिछले सप्ताह 'एआइ इंपैक्ट समिट' में भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कमीज उतारकर किए गए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में ग्वालियर से तीन कार्यकर्ताओं समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है और उनपर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने तथा राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले बयान देने सहित कई आरोप लगाए हैं।

पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि जितेंद्र यादव, राज गुर्जर और अजय कुमार नामक आरोपियों को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया, जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या सात हो गई है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर से युवा कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव रितिक उर्फ मोंटी शुक्ला को भी हिरासत में लिया है, जबकि युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने में हानिकारक कार्य करना) तथा 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप और बयान) के अलावा कई और धाराएं जोड़ी हैं। इन धाराओं के तहत तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

गत शुक्रवार को भारत मंडपम में 'एआइ इंपैक्ट समिट' के दौरान एक प्रदर्शनी हाल में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। वे ऐसी टी-शर्ट लेकर घूम रहे थे, जिन पर सरकार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे छपे थे। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को ही युवा कांग्रेस के चार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था।

अधिकारियों ने कहा कि मामले में व्यापक साजिश के पहलू से भी जांच की जा रही है। इस मुद्दे ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने का एक शर्मनाक कृत्य बताया, जबकि भारतीय युवा कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया गया शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताकर इसका बचाव किया।

'भारत की उपलब्धि व श्रेष्ठता को कमतर दिखाने का प्रयास कर रही कांग्रेस'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 फरवरी।

एआइ शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के आचरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद डाक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सोमवार को भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का प्रदर्शन देखने को मिला। इस विषय को लेकर पूरा देश न केवल स्तब्ध है, बल्कि आक्रोशित भी है और अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की ओर से भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई गई है।

वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी को हजारों-करोड़ों रुपए देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस सत्ता में आती है, वहां जनता को धोखा देती हैं, भ्रष्टाचार करती है और राज्य के खजाने खाली करती है। उन्होंने कहा कि भारत की हर उपलब्धि और श्रेष्ठता को कमतर दिखाना तथा उसे धूमिल करने का प्रयास करना कांग्रेस का एक सहज, स्वाभाविक और योजनाबद्ध षड्यंत्रपूर्ण आचरण रहा है। भारत कृत्रिम मेधा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हालांकि भारत में यह क्षमता पहले से मौजूद थी, लेकिन कांग्रेस की सोच ने उसे उचित दिशा नहीं दी। यह समस्या कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के परिवार की समस्या है।

ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड
रजिस्टर्ड ऑफिस: 1/22, द्वितीय तल आसफ अली रोड नई दिल्ली-110002
CIN No. L51909DL1990PLC041701 फोन: 9810337978,
वेबसाइट: www.oscar-global.net ई-मेल: oscar@oscar-global.com

भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अभौतिकीकरण के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 दिनांक 30-01-2026 के अनुसरण में, ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले बेची/खरीदी गई भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और डीमैटरियलाइजेशन ("डीमैट") के लिए 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेष विंडो खोली गई है।

यह सुविधा केवल ऐसे स्थानांतरण अनुरोधों के लिए उपलब्ध है, जहां स्थानांतरण विलेख 1 अप्रैल, 2019 से पहले निष्पादित किए गए हों, जिसमें नए दाखिल किए गए या स्थानांतरण अनुरोध शामिल हैं, जिन्हें दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण पहले अस्वीकार कर दिया गया/वापस कर दिया गया/उन पर ध्यान नहीं दिया गया।

इस विशेष विंडो के तहत हस्तांतरित सभी प्रतिभूतियों को अनिवार्य रूप से केवल हस्तांतरिती के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा और हस्तांतरण के पंजीकरण की तारीख से एक (1) वर्ष की लॉक-इन अवधि के अधीन होगा। लॉक-इन अवधि के दौरान, ऐसी प्रतिभूतियों को हस्तांतरित, गिरवी, ग्रहणाधिकार-चिह्नित या अन्यथा भारग्रस्त नहीं किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों के पास 1 अप्रैल, 2019 से पहले विधिवत निष्पादित हस्तांतरण विलेखों के साथ मूल भौतिक सुरक्षा प्रमाणपत्र हैं, उन्हें कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट यानी इंडस शेयरश्री प्राइवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: पहली मंजिल, गोपाल कॉम्प्लेक्स, सिविल रोड, रोहतक (हरियाणा) 124001, या कॉर्पोरेट कार्यालय: जी-65 बाली नगर, नई दिल्ली-110015, फोन नं. +91 1147671200, ईमेल: ippl@indusinvest.com को निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज जमा करके इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी की वेबसाइट www.oscar-global.com को इस विशेष विंडो के खुलने का विवरण देने वाले परिपत्र के साथ अपडेट कर दिया गया है

कृते ऑस्कर ग्लोबल लिमिटेड
हस्ताक्षरित/-
करण कनिका वर्मा
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 00034343

दिनांक 23.02.2026
स्थान: नोएडा

भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

वर्ष 2018 से पहले के मामले फिर से नहीं खोल सकते

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 फरवरी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक टिप्पणी की कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) अधिनियम के तहत जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी, उन्हें ब्याज सहित मुआवजा देने के लिए 2018 से पहले के भूमि अधिग्रहण मामलों को फिर से नहीं खोला जा सकता। यह टिप्पणी भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की विशेष पीठ ने एनएचएआइ की उस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई शुरू करते समय की जिसमें एनएचएआइ ने न्यायालय के 2019 के फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया है।

शीर्ष अदालत ने 2019 में कहा था कि एनएचएआइ अधिनियम के तहत जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई, उन्हें ब्याज सहित मुआवजा देने का फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। एनएचएआइ की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2019 के फैसले से भारी वित्तीय बोझ (लगभग 32,000 करोड़ रुपए) पड़ेगा और यह केवल भावी प्रभाव से लागू होना चाहिए। पीठ ने पहले इसे खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे लाभ से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

मेहता ने कहा, 'शायद आपके लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह थी कि यह 100 करोड़ रुपए की रकम थी।' उन्होंने कहा कि एक अन्य फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा है कि निपटाए गए किसी भी मामले को दोबारा नहीं खोला जाएगा। सीजेआइ ने कहा, ' कट-आफ (अंतिम) तिथि 2008 की प्रतीत होती है, बशर्ते दावे तब लंबित रहे हों। 2018 से पहले के मामले फिर से नहीं खोले जा सकते। जो मामले 2008 में लंबित थे, वे आगे भी जारी रहेंगे। यदि 2020 के शुरुआती वर्षों में किसी ने यह कहते हुए आवेदन दाखिल किया कि 2008 के आधार पर वह समानता का हकदार है, तो हम कह सकते हैं कि मुआवजे के मामले में हां वह हकदार है, लेकिन ब्याज के मामले में नहीं, जैसे भूमि अधिग्रहण मामलों में होता है।'

चर्चा नई दिल्ली में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह।

राष्ट्रपति मुर्मू ने किया भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 फरवरी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के पहले और इकलौते भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया। राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला का हिस्सा है।

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अशोक मंडप के पास राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा नई दिल्ली में कई इमारतों के मुख्य वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर लगाई गई है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि यह पहल औपनिवेशिक मानसिकता के अवशेषों को मिटाने और भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, शाश्वत परंपराओं को गर्व से अपनाने तथा भारत माता की सेवा में असाधारण योगदान देने वालों को सम्मानित करने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की श्रृंखला का हिस्सा है।

हरियाणा : बैंक में 590 करोड़ के घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो करेगा

चंडीगढ़, 23 फरवरी (जनसत्ता)।

हरियाणा सरकार के कुछ अधिकारियों-कर्मियों और आइडीएफसी फर्स्ट बैंक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हुई 590 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से की जाएगी। सोमवार को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में अधिकारियों व कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर रपट मांगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने सदन में एलान किया कि सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और सतर्कता विभाग को इस मामले की जांच का जिम्मा सौंपा जा चुका है। सभी विभागों व बोर्ड-निगमों को ये निर्देश भी दिए गए हैं कि निजी के बजाय सरकारी बैंकों में ही सरकार का पैसा रखा जाएगा।

हिमाचल भवन पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी, सरकार ने मांगी रपट

शिमला, 23 फरवरी (ब्यूरो)।

दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में आधी रात को दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया। शनिवार रात को दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के दो दिन बाद हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को हिमाचल भवन के प्रबंधक से घटना पर विस्तृत रपट मांगी है। दिल्ली में मंडी हाउस में सिकंदरा मार्ग पर स्थित हिमाचल भवन, हिमाचल प्रदेश सरकार की संपत्ति है। इसकी देखरेख राज्य का सामान्य प्रशासन विभाग करता है।

जीएडी हिमाचल प्रदेश के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में हिमाचल भवन के प्रबंधक से पूरी घटना पर एक विस्तृत रपट देने को कहा है। उन्हें मीडिया रपट से पता चला कि दिल्ली पुलिस ने हिमाचल भवन पर 'छापेमारी' की गई थी और कड़ी आपत्ति जताए जाने के बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा था। रपट आने के बाद सरकार इस मामले में आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।

TENNECO
फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
CIN: L74899DL1954PLC002452
पंजीकृत कार्यालय : डीएलएफ प्राइम टावर्स, 10 ग्राउण्ड फ्लोर, एफ- 79 व 80, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020
कॉर्पोरेट कार्यालय : 10 फ्लोर, पारस ट्विन टावर्स, टावर-बी, सेक्टर-54, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम-122002
वेबसाइट: www.federalmogulgoetzeindia.net
टेली. +91 124 4784530; +91 11 44788657,
ई-मेल: infoindia@tenneco.com

पोस्टल बैलेट की सूचना

इस सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, उसके तहत बनाए गए नियम और लागू दिशानिर्देश/परिपत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए परिपत्र') द्वारा जारी किए हैं और सेबी के विनियमन 44 (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 ('एलओडीआर') और अन्य लागू कानून नियम और विनियम यदि कोई हों, तो इस संबंध में **फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड** ('कंपनी') एतद्द्वारा केवल रिमोट ई-वोटिंग ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष प्रस्तावों के माध्यम से कंपनी के सदस्यों की मंजूरी चाहती है, जैसा कि 10 फरवरी, 2026 ('नोटिस') के पोस्टल बैलेट के नोटिस में कहा गया है। यह नोटिस कंपनी की वेबसाइट http://www.federalmogulgoetzeindia.net और स्टॉक एक्सचेंजों यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.nseindia.com और www.bseindia.com पर उपलब्ध है।

सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि:

ए) इस संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी ने सोमवार, 23 फरवरी, 2026 को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सदस्यों को नोटिस (जिसमें स्पष्टीकरण कथन, रिमोट ई-वोटिंग यूजर आईडी, पासवर्ड और रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के साथ मसौदा प्रस्ताव शामिल हैं) भेजने का काम पूरा कर लिया है। तदनुसार, पोस्टल बैलेट फार्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे के साथ नोटिस की भौतिक प्रति सदस्यों को नहीं भेजी गई है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपनी सहमति या असमति प्रदान करें।

बी) कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) के माध्यम से सहर्ष रिमोर्ट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करती है, ताकि वे नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया पर विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे नोटिस में दिए गए निर्देश/नोट्स देखें।

सी) यह नोटिस उन सभी सदस्यों को भेजा गया है, जिनके नाम शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 ('क-ऑफ तिथि') को डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों/लाभार्थी स्थिति के रजिस्टर में दर्ज हैं। सदस्यों के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के साथ इक्विटी शेयरों की उनकी होल्डिंग के अनुपात में होगे। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

डी) रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 24 फरवरी, 2026 को सुबह 09:00 बजे (IST) से शुरू होगी और बुधवार, 25 मार्च, 2026 को शाम 05:00 बजे (IST) पर समाप्त होगी। इसलिए, उक्त तिथि और समय के बाद मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, सदस्य बाद में इसे संशोधित नहीं कर सकता है।

ई) रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, सदस्य infoindia@tenneco.com पर ईमेल कर सकते हैं।

एफ) भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनके अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शयेर ट्रांसफर ('RTA') यानी अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को rta@alankit.com पर लिखकर अपने ईमेल पते अपडेट करें। डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट करें।

जी) (कंपनी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट/रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया आयोजित करने के लिए स्क्रूटिनेजर के रूप में कार्य करने के लिए प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव सुश्री जया यादव, (सदस्यता संख्या एफ 10822) (सीपी नंबर 12070) को नियुक्त किया है)।

एच) पोस्टल बैलट का परिणाम ई-वोटिंग के समापन के 2 कार्य दिवसों के अन्दर ही घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम को जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट http://www.federalmogulgoetzeindia.net और NSDL की वेबसाइट यानी https://nsdl.co.in पर होस्ट किया जाएगा। परिणाम की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को भी साथ ही दी जाएगी।

कृते फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(डॉ. खालिद इकबाल खान)
पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव
मेम्बरशिप नं. F5993

स्थान : गुरुग्राम
तिथि : 23.02.2026

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड
Chola Enter a better life
कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032
शिमला शाखा : द्वितीय तल, हमीर हाउस चक्कर-5, दि रिट्रीट फागली शिमला, हिमाचल प्रदेश-171005
चंडीगढ़ शाखा : एस.सी.ओ. 350-351-352, तृतीय तल, सेक्टर-34 ए, चंडीगढ़-160022

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उस पर ब्याज के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज और अन्य प्रभारों के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित पूरी बकाया राशि बिक्री की अधिसूचना जारी होने से पहले चुकाकर प्रतिभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1	ऋण खाता संख्या HE01SIM00000080949 कर्जदार एवं सह-कर्जदार : 1. गौरव साहनी पुत्र मोहन लाल साहनी 2. प्रेम लता पत्नी मोहन लाल साहनी 3. मैसर्स गौरव डेली नीड्स इसके स्वामी के माध्यम से (गौरव साहनी) सभी निवासी : लक्ष्मी भवन, बी.एल. स्कूल के निकट, चना मोहल्ला, गौरव डेली नीड्स पुराने बस स्टैंड के निकट सोलन-173212, हिमाचल प्रदेश	11-11-2025	रु. 28,85,010/- (रू. अट्ठाईस लाख पिचासी हजार दस मात्र) 11-11-2025 तक + उस पर आगे ब्याज	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : मौजा कठेर सोलन तहसील और जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थित कुल भूमि परिमाप 66 वर्ग मीटर पर विद्यमान/निर्मित भवन का सम्पूर्ण भू तल जिसका क्षेत्रफल 34.74 वर्ग मीटर है, परिवार व्यवस्था विलेख पंजीकरण सं. 1474/2021 दिनांकित 16-08-2021 तथा बंधक विलेख सं. 2076/2024 दिनांकित 27-09-2024 देखें।	21-02-2026

तिथि : 24-02-2026
स्थान : चंडीगढ़/शिमला
प्राधिकृत अधिकारी
मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
GRIHUM
पंजीकृत कार्यालय : 6ठवां तल, बी बिल्डिंग, गंगा टुइनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय इकाई : तृतीय तल, भूखंड सं. 03, कमर्शियल सेक्टर-14, कौशांबी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201012

ई-नीलामी - विक्रय सूचना
(सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसंपत्ति का विक्रय)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं/ बंधककर्त(ओं) /गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (अधिनियम के अनुसार, यहां इसमें इसके पश्चात् "प्रतिभूत ऋणदाता" के रूप में संदर्भित) के पास बंधककृत निम्नवर्णित अचल संपत्तियों का अधिग्रहण अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है। प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय 27-03-2026 को **"जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" तथा "वहां जो कुछ भी हैं"** आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से किया जायेगा। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट : **https://www.bankeauctions.com** में उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी संचालित करने जा रहे हैं। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया जीएचएफएल की /प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् **www.grihumhousing.com** में उपलब्ध लिंक का संदर्भ ग्रहण करें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	धराज जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं/ न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
1.	ऋण संख्या HF0399H20100433 अर्जुन सिंह (ऋणकर्ता) नीरज कुमारी (सह-ऋणकर्ता)	सूचना दिनांक : 10-03-2025 कुल देय राशियां : रु. 691010/- (रुपये छह लाख इक्यानबे हजार दस मात्र) 10-03-2025 तक देय ब्याज सहित, 9.72% प्रति वर्ष की दर से, वसूली तक।	भौतिक	आवासीय संपत्ति, मकान संख्या 105/2 का वह पूरा भाग एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 30 वर्ग गज है, जो खसरा संख्या- 1018 मिन., ग्राम अर्थला, आबादी बालाजी विहार, परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित (जिसे आगे संपत्ति कहा गया है) भूमि/ फ्लैट/ प्लॉट की सीमाएँ इस प्रकार हैं :- पूर्व- प्लॉट नं. 104, पश्चिम- प्लॉट नं. 106, उत्तर- प्लॉट नं. 57, दक्षिण- 10 फुट चौड़ी गली।	रु.1235588/- (रुपये बारह लाख पैंतीस हजार पांच सौ अट्ठासी मात्र)	रु. 123558.80 (रुपये एक लाख तेईस हजार पांच सौ अट्ठावन तथा अस्सी पैसे मात्र)	26-03-2026 को साय